बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से दिनांक 31 दिसम्बर 2012 को आयोजित उद्यमी पंचायत में प्रस्तुत सुझाव

आदरणीय मुख्यमंत्री जी,

आपके द्वारा उद्यमी पंचायत का आयोजन के संकल्प की कड़ी में आज का उद्यमी पंचायत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं इससे जुड़े मामलों पर आयोजित की गई है, इसके लिए बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज आपका बहुत ही आभारी है ।

हमारे राज्य की खाद्य प्रसंस्करण नीति 2008, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के समान ही देश की सर्वश्रेष्ठ निवेश नीति में से एक है और इसके परिणाम भी आज खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में निवेश के रूप में दिखाई पड़ने लगा है । फिर भी कुछ व्यवहारिक कठिनाईयों को दूर हो जाने से इस क्षेत्र में निवेश की गति और बढ़ेगी । इस सन्दर्भ में हमारे निम्न सुझाव हैं ।

मेगा फूड पार्क – राज्य सरकार के प्रयास से केन्द्र सरकार ने बिहार में दो मेगा फूड पार्क कहलगाँव एवं खगड़िया में स्वीकृति दी है ।

सरकार एवं उद्यमियों के संयुक्त प्रयास से इन दोनों मेगा फूड पार्क को यथाशीघ्र कार्यान्वित कराने की आवश्यकता है ।

दुध एवं दूग्ध उत्पाद – राज्य में दुध उत्पादन की अभी भी असीम संभावनाएं हैं । राज्य सरकार द्वारा विभिन्न जिलों में Backward Integration द्वारा दुध उत्पादकों को प्रेरित कर दुध का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है तथा कम्फेड एवं कुछ उद्यमियों द्वारा दूग्ध उत्पादकों से दुध खरीद कर उसमें Value Addition करके Marketing किया जा रहा है । राज्य एवं राज्य से बाहर के कई बड़े उद्यमी इस क्षेत्र में निवेश के लिए इच्छुक हैं । इस सन्दर्भ में हमारा सुझाव होगा कि कम्फेड द्वारा जिन जिलों में Backward Integration का कार्य किया गया है, वर्तमान में उन जिलों को Command Area मानते हुए अन्य जिलों में राज्य एवं राज्य के बाहर के निवेशकों को पूंजी निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाए । इसके साथ ही कोई निवेशक दुध एवं दूग्ध उत्पादन के Value Additionl क्षेत्र में निवेश करना चाहते हों, उसे भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ।

खाद्यान्न भंडारण – राज्य में खाद्यान्न भंडारण की बहुत बड़ी समस्या है । जिसके फलस्वरूप किसानों एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है । एक अनुमान के अनुसार राज्य में करीब 13 लाख टन की ही भंडारण क्षमता है जो कि राज्य के उत्पादन का मात्र 12% होता है ।

क्रमशः.....2

खाद्यान्न की बर्बादी रोकने, किसानों को उचित कीमत प्राप्त होने एवं कृषि आधारित उद्योगों को निरन्तरता में कच्चा माल उपलब्ध होने के लिए राज्य में Warehousing एवं Logistic को भी उद्योग का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता है जिससे कि इन क्षेत्रों में निजी पूंजी निवेश हो सके और ग्रामीण अंचलों में नई पीढ़ी के Entrepreneures उद्यमिता के क्षेत्र में अपना योगदान दे सकें ।

इसी कड़ी में राज्य के कृषि उत्पादन वाले इलाकों को चिन्हीत कर 10-15 स्थानों में PPP Mode में Silo स्थापित करने की आवश्यकता है । ऐसा ही एक Silo पटना सिटी में BSFC द्वारा 90 के दशक में शुरूआती दौर में स्थापित किया गया था लेकिन दुर्भाग्यवश वह अब आज तक चालू नहीं हो पाया, उसे Modernisation करके चालू करने की आवश्यकता है ।

चावल मिल – राज्य में खाद्य प्रसंस्करण नीति 2008 लागू होने के उपरान्त बड़ी संख्या में चावल मिलों की स्थापना हो रही है लेकिन उनकी कुछ परेशानियाँ है जिसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करते हुए उस पर उचित कार्रवाई करने का अनुरोध करते हैं ।

सरकारी धान कुटाई (C.M.R.) की कुटाई दर अव्यवहारिक है अत: इसे पड़ोसी राज्यों के समतुल्य बनाया जाना चाहिए ।

कुछ राज्य सरकारों द्वारा चावल कि कुटाई पर चावल मिलों को Subsidy की व्यवस्था है, इस संबंध में राज्य सरकार विचार करना चाहेगी ।

फलों एवं सब्जियों पर आधारित निर्यातोन्मुखी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के प्रोत्साहन हेतु Subsidy की अधिकतम सीमा 20 करोड़ करने की आवश्यकता है जिससे कि विश्वस्तरीय Plant & Machinery स्थापित की जा सके ।

आधुनिक प्रयोगशाला की व्यवस्था – फूड प्रोसेसिंग गुणवत्ता वाली आधुनिक प्रयोगशाला का निर्माण अति आवश्यक है जहाँ सभी सुक्ष्म तत्वों की जाँच Residual effect, Micro Biology एवं अन्य सभी प्रकार की जाँचों की पूरी व्यवस्था हो जहाँ प्रोसेसर उचित कीमत पर इन सुविधाओं का लाभ उठा सकें । वर्तमान में Sample की गुणवत्ता की जाँच हेतु दिल्ली या कोलकता भेजना होता है जिससे समय और खर्च बहुत ज्यादा आता है ।

उद्योंगों के खिलाफ FIR दाखिल करने के दुरूप्योग के सम्बन्ध में :

ऐसा अनुभव किया गया है कि किसी कारखाने/औद्योगिक इकाई के बाहर, इकाई से 10-5 किलोमीटर

दूर, कोई अप्रिय घटना उस इकाई से संबधित किसी कामगार, ड्राईवर–खलासी, आपूर्तिकर्ता इत्यादि के साथ घटित होती है तो संबंधित स्थानीय थाना द्वारा ऐसी घटनाओं में येन–केन–प्रकारेण औद्योगिक इकाई के नाम को जोड़ने का प्रयास किया जाता है जिससे संबधित इकाई बुरी तरह से परेशान होती

क्रमश:.....3

है। अत: हमारा सुझाव है कि इस प्रकार की मनमानी पर रोक लगाने हेतु कोई व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे खान (Mines) में कोई घटना घटित होने पर डायरेक्टर माइन्स सेफटी के Report के बाद ही

FIR पर कारवाई होती है, उसी तरह से फैक्ट्री के अन्दर घटना घटित होने पर फैक्ट्री इंस्पेक्टर के Report के बाद FIR पर कारवाई हो तथा फैक्ट्री के बाहर घटना घटित होने पर, DSP के Supervision Report पर Superintendent of Police के Report II होने के बाद ही FIR पर कारवाई हो।

वैट की प्रतिपूर्ति

वाणिज्य–कर विभाग द्वारा अब लगभग सारा कार्य Electronic माध्यम से किया जा रहा है । इसी के आलोक में हमारा अनुरोध है कि औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006, 2011 के अन्तर्गत पात्र इकाईयों को वैट की प्रतिपूर्ति भी Electronic Transfer के माध्यम से सीधे उद्यमी के बैंक खाते में जमा होने की व्यवस्था होनी चाहिए । जिससे कि उद्यमियों को कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़े । यह सरकार के e-Governance की तरफ एक सकारात्मक प्रयास होगा । इसी तरह की व्यवस्था राजस्थान सरकार ने भी की है ।

प्लान्ट एवं मशीनरी में बहुत से मशीनों पर इन्ट्री टैक्स 5% से 8% तक देय होता है, जिनमें ब्यालर, जेनरेटर, विद्युत मोटर, विद्युत के अन्य सामान, प्रिफेबरीकेटेड बिल्डिंग मेटेरीयल्स, आयरण एवं स्टील के उपकरण एवं फीटींग आदि सम्मिलत हैं। इन्ट्री टैक्स लगने के कारण प्लान्ट की लागत में काफी बढ़ोतरी हो जाती है जबकि यह प्लांट मशीनरी का ही हिस्सा है, इसे वापस लेने कि आवश्यकता है।

उसी प्रकार पैकिंग Material (HM/HDPE Drum, GI Drum, Corrugated Boxes, Food Grade Bages) आदि पैकिंग Material पर भी Entry Tax 5 प्रतिशत देय है उसे उत्पाद कि लागत में बढ़ोतरी हो जाती है। इसलिए आग्रह है कि Industrial Input पर Entry Tax समाप्त करने की कृपा की जाए ।

सधन्यवाद,

पी० के० अग्रवाल
अध्यक्ष